

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 24 / 2023

दायरा दिनांक:- 31.08.2023

निर्णय दिनांक:- 2-4-24

उनवान

1. रामकल्याण आयु 65 वर्ष आत्मज नन्नुलाल जाति मेहर निवासी हाल खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांक:- 2.4.24

अभिभाषक उपस्थित:- 1. श्री राजेश लोधा - वादी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 136 आर.टी.ए विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल जैपाला तहसील छबडा में खाता संख्या 39 खसरा नम्बर 156/4 रकबा 0.8220 हैक्टयर एवं वाके माल आशापुरा तहसील छबडा में खाता संख्या 8 में भूमि खसरा नम्बर 122/71 रकबा 1.7705 हैक्टयर खसरा नम्बर 132/73 रकबा 0.8852 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल जाति मेहर है परन्तु प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल के स्थान पर कल्याण पुत्र नन्नु उर्फ मन्नु दर्ज होने से प्रार्थी को उक्त आराजी को उन्नत करने हेतु एवं खाद, बीज, बैक से के.सी.सी व अन्य राजकीय योजनाओ का लाभ से वंचित होना पडता है तथा इस कारण प्रार्थी का नाम व पिता का नाम दुरुस्तीकरण होकर कल्याण पुत्र नन्नु उर्फ मन्नु के स्थान पर रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल जाति मेहर का नाम उक्त दोनो खातों की जमाबन्दी में दर्ज होना आवश्यक है तथा राशन कार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल दर्ज है। प्रार्थी ने राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों से कही बार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दुरुस्त कर कल्याण पुत्र नन्नु के स्थान पर रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल अंकित करवाना चाहा है व निवेदन किया तो सभी ने मना कर दिया व श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश संशोधन करने के आदेश लाने को कहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नही हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम जैपाला सम्वत् 2074-77 खाता सं0 39




उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

नकल जमाबन्दी ग्राम आशापुरा सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 8 नकल जमाबन्दी ग्राम आशापुरा सम्वत् 2043-46 खाता संख्या 40 नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2054-57 खाता संख्या 262 फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, फोटो प्रति आधार कार्ड, रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल, फोटो प्रति पहचान पत्र ग्राम पंचायत खानपुर के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.07.2023 पेश किकया गया। तथा तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम जैपला एवं ग्राम आशापुरा तहसील छबडा में भूमि स्थित है प्रार्थी का नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल जाति मेहर है परन्तु ग्राम जैपला व आशापुरा के भूमि में प्रार्थी का नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल के स्थान पर कल्याण पुत्र नन्नु उर्फ मन्नु दर्ज हो रहा है प्रार्थी का नाम गलत होने के कारण के.सी.सी व अन्य राजकीय योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का नाम ग्राम जैपला व ग्राम आशापुरा की भूमि में कल्याण पुत्र नन्नु उर्फ मन्नु के स्थान पर रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल दर्ज किया जावे। राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधा कार्ड, एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल दर्ज है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल दुरुस्त करने के आदेश फरमावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्ययन अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2074-77 खाता सं० 39 में प्रार्थी का नाम कल्याण पुत्र नन्नु हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम आशापुरा सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 8 में प्रार्थी का नाम कल्याण पुत्र मन्नु हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम आशापुरा सम्वत् 2043-46 खाता सं० 40 में जमाबन्दी के कॉलम संख्या 13 से 17 में नामान्तरण नं० 103 से नन्नु फोट होने पर कल्याण,श्योजी,छोट्या, भगवान सिंह, पुत्रान कन्या पाना उनीजा, नट्टी बेवा का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम जैपला सम्वत् 2054-57 खाता सं० 262 के कॉलम संख्या 14 से 17 में नामान्तरण नं० 705 से मृतक नन्नु के स्थान पर कल्याण,श्योजी छोट्या, भगवान सिंह, पुत्रान कन्या बाई, पाना बाई, राज बाई, पुत्रिया नट्टी बाई बेवा का नाम दर्ज हुआ का नोट अंकित है फोटो प्रति राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल दर्ज होना पाया जाता है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 के अनुसार ग्राम जैपला से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल जाति मेहर हाल निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड को ग्राम में रामकल्याण एवं कल्याण दोना नाम से जाना जाता है। एवं इनके पिताजी का नाम नन्नुलाल है वर्तमान जमाबन्दी ग्राम जैपला खाता संख्या 39 में कल्याण पुत्र नन्नु एवं ग्राम आशापुरा के खाता संख्या 8 में कल्याण पुत्र नन्नु नाम दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल दर्ज है। उपस्थित मोत विरान व रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार उक्त नाम का प्रार्थी के अलावा गांव में अन्य कोई खातेदार नहीं है प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार छबडा



उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारा)

की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का सही नाम रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम जैपला के खाता संख्या 39 के खसरा नम्बर 156/4 रकबा 0.8220 हैकअयर एवं ग्राम आशापुरा तहसील छबडा के खाता संख्या 8 के खसरा नम्बर 122/71 रकबा 1.7705 हैकटयर खसरा नम्बर 132/73 रकबा 0.8852 हैकटयर में प्रार्थी के नाम कल्याण पुत्र नन्नु के स्थान पर रामकल्याण पुत्र नन्नुलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(रामसिंह प्रार्थी)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (घारा)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा